

राजस्थान उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.



क्र. 43/2024

अनुरोध :-

1. विरजलाल पुत्र आसराम जाति जाट निवारी खचवाना तहसील भादरा। :- प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। :- अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट
उपरिथिति :- श्री दलवीर वैनीवाल प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी 18/3/25

निर्णय

दिनांक:

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 एनटीआर के खाता सं० 92/97 के मु० न० 24 के किला न० 1, 2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2, मु० न० 25 के किला न० 6, मु० न० 31 के किला न० 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8 कुल 6.3250 है० विजयसिंह पुत्र आसराम दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम विरजलाल के स्थान पर अशुद्ध नाम विजयसिंह पुत्र आसराम दर्ज है, रोही मौजा चक 1 एनटीआर के खाता सं० 18/25 के मु० न० 37 के किला न० 16/1, 16/2, 17 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 24, 25/1, 25/2, मु० न० 38 के किला न० 8 ता 13, 18 ता 23, मु० न० 47 के किला न० 1 ता 3, 8 ता 14, 15/1, 15/2, मु० न० 48 के किला न० 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, कुल 9.1080 है० में बृजलाल पुत्र आसराम के नाम 5/18 हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम विरजलाल के स्थान पर पर अशुद्ध नाम बृजलाल पुत्र आसराम दर्ज है व रोही मौजा चक 4 डीपीएन के खाता सं० 52/54 के मु० न० 8 के किला न० 7 ता 9, 15, 16, 25 मु० न० 9 के किला न० 11, 12, 19, 20, 21, 22 कुल 3.0360 है० बृजलाल पुत्र आसराम के नाम से 11/24 हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम विरजलाल के स्थान पर पर अशुद्ध नाम बृजलाल पुत्र आसराम दर्ज है, व रोही मौजा चक 4 डीपीएन के खाता सं० 53/55 के मु० न० 9 के किला न० 13, 18, 23, मु० न० 58 के किला न० 23, 24, 25/1, 25/2, मु० न० 64 के किला न० 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 कुल 2.5180 है० में बृजलाल पुत्र आसराम के नाम से 759/2518 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी के सही नाम विरजलाल के स्थान पर पर अशुद्ध नाम बृजलाल पुत्र आसराम दर्ज है,

प्रार्थी के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, बैंक पास बुक एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम विरजलाल पुत्र आसराम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग-उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा चक 2 एनटीआर के खाता सं० 92/97 के मु० न० 24 के किला न० 1, 2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2, मु० न० 25

Handwritten signature and stamp of the District Collector, Hanumanagar, Rajasthan.

के किला नं० 6, मु० नं० 31 के किला नं० 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8 कुल 6.3250है० विजयसिंह पुत्र आसाराम दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम विरजलाल के स्थान पर अशुद्ध नाम विजयसिंह पुत्र आसाराम दर्ज है, रोही मौजा चक 1 एनटीआर के खाता सं० 18/25 के मु० नं० 37 के किला नं० 16/1, 16/2, 17 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 24, 25/1, 25/2, मु० नं० 38 के किला नं० 8 ता 13, 18 ता 23, मु० नं० 47 के किला नं० 1 ता 3, 8 ता 14, 15/1, 15/2, मु० नं० 48 के किला नं० 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, कुल 9.1080है० में वृजलाल पुत्र आसाराम के नाम 5/18 हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम विरजलाल के स्थान पर पर अशुद्ध नाम वृजलाल पुत्र आसाराम दर्ज है व रोही मौजा चक 4 डीपीएन के खाता सं० 52/54 के मु० नं० 8 के किला नं० 7 ता 9, 15, 16, 25 मु० नं० 9 के किला नं० 11, 12, 19, 20, 21, 22 कुल 3.0360है० वृजलाल पुत्र आसाराम के नाम से 11/24 हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम विरजलाल के स्थान पर पर अशुद्ध नाम वृजलाल पुत्र आसाराम दर्ज है, व रोही मौजा चक 4 डीपीएन के खाता सं० 53/55 के मु० नं० 9 के किला नं० 13, 18, 23, मु० नं० 58 के किला नं० 23, 24, 25/1, 25/2, मु० नं० 64 के किला नं० 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 कुल 2.5180है० में वृजलाल पुत्र आसाराम के नाम से 759/2518 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी के सही नाम विरजलाल के स्थान पर पर अशुद्ध नाम वृजलाल पुत्र आसाराम दर्ज है, अतः प्रार्थी का अशुद्ध नाम विजयसिंह व वृजलाल पुत्र आसाराम के स्थान पर पर प्रार्थी का सही नाम विरजलाल पुत्र आसाराम दर्ज किया जावे ताकि प्रार्थी अपनी वाद भूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 2 एनटीआर के खाता सं० 92/97 में विजयसिंह पुत्र आसाराम के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम विरजलाल पुत्र आसाराम दर्ज किया जाकर व रोही मौजा चक 4 डीपीएन के खाता सं० 52/54 में वृजलाल पुत्र आसाराम के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम विरजलाल पुत्र आसाराम दर्ज किया जाकर व रोही मौजा चक 4 डीपीएन के खाता सं० 53/55 में वृजलाल पुत्र आसाराम के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम विरजलाल पुत्र आसाराम दर्ज किया जाकर व रोही मौजा चक 1 एनटीआर के खाता सं० 18/25 में वृजलाल पुत्र आसाराम के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम विरजलाल पुत्र आसाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि विजयसिंह व वृजलाल पुत्र आसाराम के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम विजयसिंह व वृजलाल पुत्र आसाराम ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक ...1.8.13... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़